

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी

उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 8 दिसम्बर, 2016

विषय:- भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० वाराणसी द्वारा खाता/खतौनी नं० 802/2 ग्राम कोदहू थाना मुगराबादशाहपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर में इलाहाबाद -गोरखपुर मार्ग के किमी० 45 से 46 के मध्य रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.06795 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-914/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/ 19596/2016, दिनांक 25-10-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ०एन० संख्या-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11-07-2014 व एफ०एन० संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक 21-08-2014 के दृष्टिगत भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० वाराणसी द्वारा खाता/खतौनी नं० 802/2 ग्राम कोदहू थाना मुगराबादशाहपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर में इलाहाबाद -गोरखपुर मार्ग के किमी० 45 से 46 के मध्य रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.06795 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीयराजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डड लाईन्स दिनांक 24-07-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।
- (2) सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
- (3) फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा।

- (5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे० से कम होगा।
- (6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।
- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक डाफ्ट/चेक की छायाप्रति सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय, तत्पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- (8) उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
- (9) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (10) नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
- (11) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
- (12) प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (13) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

- (14) उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (15) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी०(पीटी), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (16) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (17) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होंगी।
- (18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- (19) प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (20) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।
- (21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।
- (22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (24) इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- (25) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
- (26) प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या-एफ0एन0 संख्या-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11-07-2014 में नये दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।
- (27) प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- (28) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (29) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव

संख्या-पी-163(1)/14-2-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य) अलीगंज, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त वाराणसी।
- 3- जिलाधिकारी, जौनपुर।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
- 5- टेरीटरी मैनेजर रिटेल भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, ग्राम सरेसर आलमपुर पो0 सकल डीहा।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)

अनु सचिव